पत्रांक–18 / लो0शि0नि0–14–01 / 2016................. /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक जुलाई, 2016

विषय :– बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के अंतर्गत लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पटना नगर निगम के सहयोगार्थ संविदा आधारित कुल 7 पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के अंतर्गत लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पटना नगर निगम के सहयोगार्थ संविदा आधारित निम्नलिखित कुल 7 पदों के सृजन की स्वीकृति योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रदान की गई है :–

क्र. सं.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	नियत संविदा राशि	स्वीकृत पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पटना नगर निगम के कार्यालय हेतु						
1.	आई.टी. सहायक	–	–	17000/–	1	
2.	कार्यपालक सहायक(विधि)	–	–	11345/–	2	कार्यपालक सहायक (विधि) के रूप में नियोजित किये जाने वाले कर्मी मूलतः कार्यपालक सहायक ही होगें तथा उन्हें कार्यपालक सहायक के पैनल से नियोजित किया जाएगा।
3.	कार्यपालक सहायक	–	–	11345/–	2	
4.	मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ– MTS (वाह्य स्त्रोत से) अथवा गृह रक्षक(होम गार्ड)	–	–	10000/–	2	गृह रक्षकों की सेवा लिये जाने की स्थिति में इनका भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा।
कुल पदों की संख्या:–					7	

2. इन पदों के विरूद्ध नियोजित कर्मीगण संविदा आधारित होंगे। इनके द्वारा सरकारी कर्मी होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

3. इन पदों पर होने वाले व्यय का वहन योजना मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ–उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–092–अन्य कार्यक्रम–उप शीर्ष–0122– बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (विपत्र

कोड–P2052000920122) एवं मांग संख्या–33 राज्य योजना स्कीम कोड–GEN5513 में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि से प्रति वर्ष बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को दिये जाने वाले समेकित सहायक अनुदान राशि में से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 96 दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में संचिका संख्या–18/लो0शि0नि0–14–01/2016 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 31/टि0 में दिनांक 05.7.2016 मद संख्या–04 की मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही एवं स्वीकृति उल्लिखित है।

5. राशि की निकासी सामान्य प्रशासन विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा करते हुए बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना को किया जायेगा। राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियत समय सीमा के अन्तर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 18/लो0शि0नि0–14–01/2016सा0प्र0......................../पटना, दिनांक जुलाई, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवशक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– 18/लो0शि0नि0–14–01/2016सा0प्र0 10423 /पटना, दिनांक 29 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि :– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 05.7.2016 के मद संख्या 04 के क्रम में / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार, पटना/ विकास आयुक्त बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मिशन निदेशक/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी /बजट शाखा एवं लेखा शाखा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी राजपत्रित पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।